

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
लखनऊ उ०प्र०।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०
2. मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक शासी निकाय जिला स्वास्थ्य सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

पत्रांक- एस०पी०एम०यू०/एन०आर०एच०एम०/विधि/ 2012-13/3209-2 दिनांक 2/02.2013

विषय- संविदा पी०आर०ओ० फार वी०बी०डी० के सम्बन्ध में।


महोदय,

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अन्तर्गत रिट याचिका संख्या-6965/2012 (एस/एस), अश्वनी पाण्डेय एवं 28 अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में निम्नानुसार आदेश दिये गये हैं:-

‘However, in case there is any other post including the post of Block Programme Manager on which the petitioners can be engaged, the petitioners may apply as per the requirement and eligibility and their candidature may be considered by the concerning authorities.’

मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जनपद में अन्य पदों हेतु विज्ञापित/विज्ञापन अथवा ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक के लिये यदि संविदा पी०आर०ओ० फार वी०बी०डी० द्वारा आवेदन किया जाता है एवं अभ्यर्थी आवेदित पद के लिये योग्यता रखता है, तो मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

भवदीय

  
20/2/12  
(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक

पत्रांक-एस०पी०एम०यू०,एन०आर०एच०एम०/विधि/2012-13/

दिनांक 02.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय प्रबन्धक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

/

(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक